(का.) 07692 - 220444
(नि.) 07692 - 220301
(फैक्स) 07692 - 220990

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, सिवनी (म.प्र.)

आदेश

क्रमांक/3250/वित्त लि0-4/2017 सिवनी, दिनांक 27/05/2017

श्रमायुक्त, म0प्र0शासन, इन्दौर की जारी की गई अधिसूचना पत्र क्रमांक 1/11/अन्वेषण/पांच/2015/10542-10741 इंदौर दिनांक 01.04.2017 में दिये गये निर्देशानुसार दिनांक 01.04.2017 से 30.09.2017 तक के लिये म0प्र0शासन वित्त विभाग के पत्र क्रमांक/303/आर./577/92/नि-5/4 दिनांक 30 जून 1992 तथा म0प्र0 राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा 2 (घ) में निहित प्रावधान सहपठित म0प्र0श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82 दिनांक 25.05.82 के अनुसरण मे मैं एतद द्वारा शासकीय दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिये दैनिक वेतन की दरे सम्पूर्ण मध्य प्रदेश के लिये **अनुसूची ''क''** के अनुसार निर्धारित की गई है । सिवनी जिले के शासकीय दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों/कर्मचारियों के लिये **अनुसूची ''क''** के अनुसार ही परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित मासिक वेतन की दरें लागू होगी।

अतः म0प्र0 वित्त संहिता भाग-2 के परिशिष्ट-6 के नियम-43 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **मैं धनराजू एस, कलेक्टर सिवनी** दिनांक 01-04-2017 से 30-09-2017 तक के लिये **अनुसूची ''क''** के अनुसार ही सिवनी जिले के शासकीय दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों/कर्मचारियों के लिये परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित दैनिक वेतन की दरे निम्नानुसार निर्धारित करता हूँ । दिनांक 01-04-2017 से देय वेतन अन्तर की राशि का भुगतान श्रमिकों/कर्मचारियों को किया जावे । शेष शर्तें पूर्व की भांति यथावत लागू रहेंगी ।

:: अनुसूची ''क'' ::

(दिनांक 01.04.2017 से 30.09.2017 तक) (ऑकडे रूपये में)

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राऊंड अप में देय वेतन
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
1	2	3	4	5	6	7	8
अकुशल	**6500.00**	**216.66**	**625.00**	**20.83**	**7125.00**	**237.50**	**238.00**
अर्द्धकुशल	**7057.00**	**235.23**	**925.00**	**30.83**	**7982.00**	**266.10**	**266.00**
कुशल	**8435.00**	**281.16**	**925.00**	**30.83**	**9360.00**	**312.00**	**312.00**
उच्च कुशल	**9735.00**	**324.50**	**925.00**	**30.83**	**10660.00**	**355.33**	**355.00**

स्पष्टीकरण :-(1) मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांकों को राउंड़ अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जायेगी । वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-9-7/2006/नियम/ चार दिनांक 20 सितम्बर 2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा ।

क्रमशः 02

विशेष टीप :– उपर्युक्त अनुसूची –क में निर्धारित दैनिक वेतन की दरें 30 दिन से विभाजित कर निर्धारित की गई है । इसलिये सभी कर्मचारियों एवं श्रमिकों को वेतन सहित साप्ताहिक अवकाश देय होगा अर्थात मासिक वेतन में से साप्ताहिक अवकाश के लिये कोई कटौत्री नही की जा सकेंगी ।

(धनराजू एस.)
कलेक्टर,
सिवनी

पृ0कं0/ 3250 वित्त लि0–4/2017 सिवनी, दिनांक 27/05/2017
प्रतिलिपि:–

1– महालेखाकार, म0प्र0 ग्वालियर,
2– सचिव, म0प्र0शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल,
3– सचिव, म0प्र0शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय भोपाल,
4– सचिव, म0प्र0शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल,
5– सचिव, म0प्र0शासन, श्रम विभाग, भोपाल,
6– श्रमायुक्त, म0प्र0शासन, इंदौर,
7– आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर,
8– समस्त कलेक्टर म0प्र0,
9– समस्त कार्यालय प्रमुख ....

जिला सिवनी (म0प्र0) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

कलेक्टर
सिवनी